

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BECH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO 211 OF 2024

**IN THE MATTER OF**

SANJAY AGGARWAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS

...RESPONDENTS

**INDEX**

S.NO	PARTICULARS	PG NO
1.	Compliance Report on behalf of the District Magistrate, Tehri Garhwal	1-6
2.	<b><u>ANNEXURE-R/1</u></b> The minutes of meeting number-175/L.B.C.-2 dated 05.12.2024	7-9
3.	<b><u>ANNEXURE-R/2</u></b> The letter bearing No.-538/SPA SDM/Narendranagar dated 07.12.2024 along with the joint committee report	10-12
4.	<b><u>ANNEXURE-R/3</u></b> The details of the cases bearing Paper No.-1323/Reader(Miscellaneous)/Narendranagar filed against the illegal encroachers	13

DISTRICT MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL

THROUGH -

  
K. P. Gautam  
Advocate  
Supreme Court of India  
Reg. No. D/119/98

KAUSHAL GAUTAM

AAG, UTTARAKHAND

COUNSEL FOR DM, TEHRI GARHWAL

A-25, 2nd FLOOR, DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024

MOB NO: 98111019,

EMAIL:officeofkaushalgautam@gmail.com

**Delhi**

**Dated : 07.08.2025**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO 211 OF 2024

IN THE MATTER OF

SANJAY AGGARWAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS

...RESPONDENTS

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE DISTRICT  
MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL**

---

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH-**

1. In compliance with the order passed on 02.07.2025 in the original application bearing number 211/2024 filed before the Hon'ble National Green Tribunal. Principal Bench, New Delhi, it is informed that earlier a meeting was convened in the Narendranagar Authority Office under the chairmanship of District Magistrate Tehri Garhwal on 04 December 2024 regarding encroachment on natural drain and sealing/demolition proceedings. The minutes of meeting number-175/L.B.C.-2 dated 05.12.2024 is annexed herewith as ANNEXURE-R/1(COLLY).
2. It is further submitted that with respect to the present case, the Executive Engineer, Irrigation Department, Narendranagar and Sub-District Magistrate Narendranagar were ordered to verify the encroachment on the natural drain/drain and dumping of debris, etc., on the drain land and to take remedial action.

---

3. In compliance, a committee was constituted under the chairmanship of Sub-District Magistrate, Narendranagar, to verify the veracity of encroachment on natural drain/drain and dumping of debris, etc., on drain land and to inspect the remedial action. Regional Officer, Pollution Control Board, Dehradun, Uttarakhand, Executive Engineer, Irrigation Division, Narendra Nagar and Assistant Engineer, District Development Authority, Tehri, were the members. Also, Sub-District Magistrate Narendra Nagar ordered Tehsildar Narendra Nagar, Survey Kanungo Narendra Nagar, Revenue Inspectors Narendra Nagar/Pawki Devi and Revenue Sub-Inspectors to do on-site inspection and measurement of the above-mentioned site.
4. It is further informed that in relation to encroachment on natural drain/drain and dumping of debris etc. on the drain land, the said committee identified the encroachment on the drain near Deccan Valley under Mauja Tapovan on 05.12.2024 and during inspection it was found that a total of 06 multi-storey buildings are constructed/under construction at the site in question on the left side of the drain in the north direction of National Highway No. 58 in Mauja Tapovan. Out of the said 06 multi-storey buildings, encroachment on the drain was not found by the 02s building owners, Amit Goyal and Shobha Singh and multi-storey buildings by a total of 04 building owners were found partially within the limits of the drain, the details of which are as follows-

S. NO	NAME OF THE BUILDING OWNER	MEASUREME NT/AREA OF THE


Number

		ENROACHED LAND WITHIN THE DRAIN BOUNDARY
1.	Dilawar Singh alias Deepak Kandari son of Laxman Singh	25m x 4.50 m = 112 sq mt.
2.	Atul Mehra son of Sukhrampal Singh	9.50 m x 4m= 38 sq mt
3.	Lalit Mohan Mishra son of KamalNarayan Bharat Singh	9.50 m x 4m= 38 sq mt
4.	Kapil Gupta son of Sachidanand Gupta Rajesh Agarwal	15 m x 4m= 60 sq mt

5. During the inspection by the committee, it was also found that the building owners have taken sewer connections. The area of all the construction works at the site in question is less than 20000.00 square meters, and the construction work in question has been found to be outside the limit of the 100-year flood frequency as per the records. The letter bearing No. 538/SPA SDM/ Narendra Nagar dated 07.12.2024 along with the joint committee report is annexed herewith as ANNEXURE-R/2
6. At present, the proceedings against a total of 04 illegal encroachers are underway and the same bears Case No. 14,15,16,17 which have been filed against the above mentioned 04 illegal encroachers in the Court of Prescribed Authority, Narendra Nagar under Section-4(1) of the Common Land and Eviction Act, 1972 and the present matters are now listed for presentation of evidence. The date

Nunune

of hearing is 13.08.2025. The details of the cases bearing Paper No.-1323/Reader-(Miscellaneous)/Narendra Nagar filed against the illegal encroachers is annexed herewith as **ANNEXURE-R/3.**



DISTRICT MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL



THROUGH –

K. P. Gautam  
Advocate  
Supreme Court of India  
Reg. No. D/119/98

KAUSHAL GAUTAM  
AAG, UTTARAKHAND  
COUNSEL FOR DM, TEHRI GARHWAL  
A-25, 2nd FLOOR, DEFENCE COLONY  
NEW DELHI-110024  
MOB NO: 9811101934  
EMAIL: [officeofkaushalgautam@gmail.com](mailto:officeofkaushalgautam@gmail.com)

DELHI

DATED : 07.08.2025

**854**  
**संजय अग्रवाल**  
**बनाम**  
**उत्तराखण्ड सरकार**  
**तथ्यात्मक आख्या**

1. मा0 हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 211/2024 में दिनांक 02.07.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में प्राकृतिक नाले/नाली पर अतिक्रमण एवं सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के संबंध में दिनांक 04 दिसम्बर 2024 को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय नरेन्द्रनगर में बैठक आहूत की गयी थी। (बैठक का कार्यवृत्त संख्या-175/L.B.C.-2 दिनांक 05.12.2024 संलग्न)
2. उक्त प्रकरण में प्राकृतिक नाले/नाली पर अतिक्रमण एवं नाले की भूमि पर मलबा इत्यादि गिराये जाने की वास्तविकता के सत्यापन एवं उपचारात्मक कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर एवं उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर को आदेशित किया गया था।  
(बैठक का कार्यवृत्त संख्या-175/एल0बी0सी0-2 दिनांक-05.12.2024 संलग्न)
3. उक्त के क्रम में प्राकृतिक नाले/नाली पर अतिक्रमण एवं नाले की भूमि पर मलबा इत्यादि गिराये जाने की वास्तविकता के सत्यापन एवं उपचारात्मक कार्यवाही के निरीक्षण हेतु उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर एवं सहायक अभियंता जिला विकास प्राधिकरण टिहरी सदस्य थे, साथ ही उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा तहसीलदार नरेन्द्रनगर, सर्वे कानूनगो नरेन्द्रनगर, राजस्व निरीक्षकों नरेन्द्रनगर/पावकीदेवी एवं राजस्व उप निरीक्षकों को उपरोक्त स्थल के स्थलीय निरीक्षण एवं नाप करने हेतु आदेशित किया गया था।  
(पत्र संख्या-538/एस0पी0ए0-एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक-07.12.2024 संलग्न)
4. उक्त समिति द्वारा प्राकृतिक नाले/नाली पर अतिक्रमण एवं नाले की भूमि पर मलबा इत्यादि गिराये जाने के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को मौजा तपोवन के अन्तर्गत डैकन वैली के समीप नाले पर हुए अतिक्रमण का चिन्हीकरण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मौजा तपोवन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के उत्तर दिशा में नाले के बायीं ओर प्रश्नगत स्थल पर कुल 06 बहुमंजिला भवन निर्मित/निर्माणाधीन है। उक्त 06 बहुमंजिला भवनों में से 02 भवन स्वामियों अमित गोयल व शोभा सिंह द्वारा नाले पर अतिक्रमण होना नहीं पाया गया एवं कुल 04 भवन स्वामियों द्वारा बहुमंजिला भवन आंशिक रूप से नाले की सीमा में पाये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	भवन स्वामी का नाम	नाले की सीमा में अतिक्रमण की गई भूमि की नाप/क्षे0फ0
1	दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्डारी पुत्र लक्ष्मण सिंह	25 मी0 × 4.50 मी0 = 112 वर्ग मी0
2	अतुल नेहरा पुत्र सुखरामपाल सिंह	9.50 मी0 × 4 मी0 = 38 वर्ग मी0
3	ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमलनारायण भरत सिंह	9.50 मी0 × 4 मी0 = 38 वर्ग मी0
4	कपिल गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द गुप्ता राजेश अग्रवाल	15 मी0 × 4 मी0 = 60 वर्ग मी0

(संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा संलग्न)

5. समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन लिये गये हैं। प्रश्नगत स्थल के सभी निर्माण कार्यों का क्षेत्रफल 20000.00 वर्गमीटर से कम है, एवं प्रश्नगत निर्माण कार्य सौ वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा अभिलेखों के अनुसार बाहर पाया गया है।  
(पत्र संख्या-538/एस0पी0ए0-एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक-07.12.2024 संलग्न)

*M. M. M.*

6. उपरोक्त कुल 04 अवैध अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध न्यायालय विहित प्राधिकारी, नरेन्द्रनगर में धारा -4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वाद संख्या 14,15,16,17 दायर किये गये हैं। वर्तमान में कुल 04 अवैध अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही पैरवी साक्ष्य हेतु गतिमान है, जिनमें दिनांक 13.08.2025 की तिथि नियत है।

(पत्र संख्या-69/वाचक-(विविध)/नरेन्द्रनगर दिनांक- 05.08.2025 संलग्न)



जिलाधिकारी  
टिहरी गढवाल।





R. No. 403 / 856 / 12-24  
पंजिका 130 दिनांक

ANNEXURE-R/1

7

ADM/OC/LBC-II

✓  
DPO (Namami  
Gange)

✓  
जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल  
19/12/24

उपजिलाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

संख्या/ 538 /एस0पी0ए0/(SDM) नरेन्द्रनगर/2024

दिनांक 07 दिसम्बर, 2024

विषय:- डैक्कन बैली तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में वाद संख्या-2410/ना0/ऋषि/87/ 017-2018 जि0स्त0वि0 प्राधिकरण बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय कृपया जिला कार्यलय के पत्र संख्या-177/एल0बी0सी0-2/2024-25 नई टिहरी दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डैक्कन बैली तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में वाद संख्या-2410/ना0/ऋषि/87/ 2017-2018 जि0स्त0वि0 प्राधिकरण बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर एवं सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण टिहरी सदस्य है। गठित समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण किया गया है, संयुक्त निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह नेगी)  
उप जिलाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर

Namami

## कार्यवृत्त

डैक्कन बैली, तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वाद संख्या-2410/नो0/त्रिषि/87/2017-2018 जि0 स्त0 वि0 प्राधि0 बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के (ORIGINAL, APPLICATION NO 211/2024) के अनुपालन के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आज दिनांक 04.12.2024 को प्राधिकरण कार्यालय नरेन्द्रनगर में बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुये।

1. श्री प्रकाश चन्द दुम्का, उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
2. श्री कृष्ण कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढवाल।
3. श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उपजिलाधिकारी/संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
4. श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
5. श्री कमल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर।
6. श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
7. श्री दर्मियान सिंह असवाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर।

सर्व प्रथम मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का संज्ञान लेते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी तदक्रम में उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि अनाधिकृत 06 निर्माणों में से 5 निर्माणों को पूर्णतः सील किया गया है जबकि छठवे निर्माणकर्ता श्री राजेश अग्रवाल के 17 आवासीय फ्लैटों में से 03 खाली आवासीय फ्लैटों को सील कर दिया गया है तथा 14 अन्य में परिवारों के निवासरत होने के कारण सील नहीं किया गया है। उक्त सभी निर्माणों में शमन की कार्यवाही न होने से ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये है जिसके सम्बन्ध में उक्त निर्माणों को ध्वस्तीकरण के दौरान प्रशासन एवं पुलिस बल को सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। पृच्छा करने एवम कार्यालय अभिलेखों से स्पष्ट है कि ध्वस्तीकरण हेतु सहयोग पत्र अधोहस्ताक्षरी को अति विलम्ब के साथ दिनांक 25.11.2024 को प्राप्त हुआ है। साथ ही उपाध्यक्ष द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्नगत निर्माण कर्ताओं द्वारा विभिन्न अपील व रिवीजन वाद दायर किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस सम्बन्ध में तत्काल प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर/संयुक्त सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यथा आवश्यक एवं पर्याप्त पुलिस बल के साथ सहयोग हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही उप जिलाधिकारी/संयुक्त सचिव/पुलिस उपाधीक्षक जि0 स्त0वि0 प्राधि0 टिहरी नरेन्द्रनगर )

1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी की 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति सीमा से बाहर है।
2. प्रश्नगत निर्माणों के समीप नाले पर यदि कोई अतिक्रमण किया गया है या नाले की भूमि पर मलबा गिराया गया है तो 03 दिन के अन्दर सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाय। यदि अतिक्रमण पाया जाता है या जल प्रवाह का अतिक्रमण पाया जाता है तो अगले 03 दिन के अन्दर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी /अधि0अभि0सिंचाई नरेन्द्रनगर )

3. प्रश्नगत निर्माणों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त निर्माणों हेतु पृथक से एस0टी0पी0 की आवश्यकता नहीं है। सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं द्वारा जल संस्थान से कनेक्शन लिया गया है। यह भी निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण स्तर से जाँच कर नियमानुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी निर्माणकर्ताओं द्वारा सीवर अथवा सेप्टिक मेनेजमेन्ट के प्राविधानों का पालन किया जा रहा है अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण)

W  
Munshi

- 4 उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सभी निर्माण का क्षेत्रफल 20000.00 वर्ग मी० से कम है इसलिये EC के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। इसकी पुष्टि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में की गयी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि इस बात की पुष्टि कर ली जाय कि उक्त निर्माण 20000.00 वर्ग मी० से कम है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।  
(कार्यवाही उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अन्त में सभी सम्बन्धितों को बैठक में लिये गये निर्णय पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करते हुये बैठक समाप्त की गयी। प्रकरण मा० एन०जी०टी० से सम्बन्धित होने के कारण सभी को समयबद्ध रूप से उपरोक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(मयूर दीक्षित)  
जिलाधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या:-175 /LB-1-2/24-25 दिनांक नई टिहरी दिसम्बर 05, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को अनुपालानार्थ हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
3. अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
4. उपजिलाधिकारी/संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी, नरेन्द्रनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरेन्द्रनगर।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर।

W  
जिलाधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

mmmmmm

**कार्यालय उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी-गढ़वाल।**

Office Email- sdmnagar@gmail.com फोन/फैक्स 01378-227283

संख्या/ ६३४ /एस०पी०ए०-एस०डी०एम०/नरेन्द्रनगर

दिनांक ०७ दिसम्बर, 2024

**:: संयुक्त निरीक्षण ::**

कृपया जिला कार्यालय के आदेश संख्या-175/एल०बी०सी०-2/24-25 नई टिहरी दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि डैक्कन बैली तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में वाद संख्या-2410/ना०/ऋषि/87/2017-2018 जि०स्त०वि० प्राधिकरण बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में संयुक्त निरीक्षण हेतु अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर एवं सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण टिहरी सदस्य हैं। गठित समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण किया गया है, संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

सर्वे कानूनगो नरेन्द्रनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में अवैध अतिक्रमण के संबंध में सीमांकन की कार्यवाही की जा चुकी है, आख्या संलग्न है, तथा अवैध अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। (संलग्न)

सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन लिये गये हैं, तथा प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण को हटाये जाने हेतु ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। आदेश की प्रति संलग्न है।

सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत स्थल के सभी निर्माण कार्यों का क्षेत्रफल 20000.00 वर्गमीटर से कम है, इसलिये EC के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। इसकी पुष्टि कर ली गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य सौ वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा अभिलेखों के अनुसार बाहर पाया गया ।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

  
सहायक अभियन्ता,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
नरेन्द्रनगर

  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

  
अधिशासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड,  
नरेन्द्रनगर।

  
उप जिलाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर।

  
नरेन्द्रनगर

## संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 05.12.2024 को उपजिलाधिकारी महोदय नरेन्द्रनगर के मौखिक आदेश के अनुपालन में मौजा तपोवन के अन्तर्गत डैकन वैली के समीप नाले पर हुए अतिक्रमण का चिहनीकरण किया गया गया है, चिहनीकरण रिपोर्ट निम्नवत है -

कि स्थल निरीक्षण में पाया कि मौजा तपोवन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के उत्तरदिशा में नाले के बायीं ओर प्रश्नगत स्थल पर कुल 06 बहुमंजिला भवन निर्मित। निर्माणाधीन है, उक्त स्थल पर निर्मित निर्माणाधीन बहुमंजिला भवनों के स्वामित्व के सम्बन्ध में जिला विकास प्राधिकरण के नरेन्द्रनगर डिस्ट्रीक्ट ऑफिस के सहायक अभियन्ता श्री दिग्विजय नाथ तिवारी द्वारा मौखिक विवरण उपलब्ध कराया गया है, उक्त स्थल ग्राम तपोवन के राजस्व मानचित्र फसली वर्ष 1400 सन् 1992-93 के आधार पर खसरा नम्बर चिह्नित किये गये, प्रश्नगत भवन मौजा तपोवन के हाल खसरा नम्बर 25 एवं 27 की सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं, स्थल निरीक्षण में कोई भवन स्वामी मौके पर उपस्थित नहीं मिले हैं, जिला विकास प्राधिकरण द्वारा भी उक्त भवन स्वामियों के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं,

कि स्थल निरीक्षण में उपरोक्त 06 बहुमंजिला भवनों में से कुल 04 बहुमंजिला भवन आंशिक रूप से नाले की सीमा में पाये गये हैं जिसका विवरण निम्नवत है भवन स्वामी अमित गोमल व शोभा सिंह द्वारा नाले पर नाले पर अतिक्रमण नहीं पाया गया, जो नजरी नम्बर के क्रमांक 5 व 6 पर प्रदर्शित है,

क्र.सं.	भवन स्वामी का नाम	नाले की सीमा में अतिक्रमण की गई भूमि की माप (वर्ग मी.)	विवरण
1	दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्ठरी पुत्र लक्ष्मण सिंह	25 मी <sup>0</sup> × 4.50 मी = 112 वर्ग मी	-
2	अतुल नेहरा पुत्र सुरवरमणल सिंह	9.50 मी <sup>0</sup> × 4 मी = 38 वर्ग मी	-
3	बलित मोहन मिश्रा पुत्र कमलनारायण भरत सिंह आदि	9.50 मी <sup>0</sup> × 4 मी = 38 वर्ग मी	-
4.	कपिल गुप्ता पुत्र साध्विदानन्द गुप्ता राजेश अग्रवाल	15 मी <sup>0</sup> × 4 मी = 60 वर्ग मी	-

अतः संयुक्त स्थलगत निरीक्षण रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है,

  
सर्व लेखापाल  
नरेन्द्रनगर

  
रा० उ० निरीक्षक  
पजैगाव

  
रा० उ० निरीक्षक  
विडली तपोवन

  
रा० निरीक्षक  
नरेन्द्रनगर


  
रा० निरीक्षक  
पावकी देवा

  
सर्व कानूनगो  
नरेन्द्रनगर

  
तहसीलदार  
नरेन्द्रनगर

Number

नगर नव्या मीमा तपोवन मध्ये डेकल नैनीक समीप नाले पर आतिक्रमण कर्मि दि. 5/12/2024



मीमा मीमा दुरुधर्मणी नरनी

*Munim*

शुभिकेय ← N. M. 58 → देवप्रभा

सर्व नैकापाल

राजेश्वर निरीक्षक  
पर्व गाव

राठ ठठ निरीक्षक  
दिउली / तपोवन

राजेश्वर निरीक्षक  
नरेश्वर गाव

राजेश्वर निरीक्षक  
पावकी देवा

सर्व कानून गो  
नरेश्वर गाव

नरेश्वर गाव  
नरेश्वर गाव

प्रेषक:  
उप जिलाधिकारी  
नरेंद्रनगर।

सोपना में  
जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।

संख्या 69 / वाचक- (विधि) / 2024-25, दिनांक, नरेंद्रनगर, अगस्त 05, 2025  
विषय: मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 (I.A NO 652/2024) Sanjay Agarwal Vessus Stat of Uttarakhand & ors. के सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपरोक्त विषयक क० अपने पत्र संख्या 117/डीपीओ (2024-25) टिहरी गढ़वाल, दिनांक 04 अगस्त 2025 का सन्दर्भ लक्षण करने का ऊष्ट करे जिसके अंतर्गत मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 (I.A NO 652/2024) Sanjay Agarwal Vessus Stat of Uttarakhand & ors में मा० प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2024 के अनुपालन में प्रकरण में अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण में अद्यतन स्थिति निम्नवत प्रेषित की जा रही है -

क्र०सं०	वाद संख्या	धारा	नाम पक्षकारान	वाद की अद्यतन स्थिति
01.	14/2024-24	4(1)सा०भू०गृ०एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्डारी ग्राम तपोवन, टिहरी गढ़वाल।	पत्रा० वास्ते जिरह पै०सा० दि० 13.08.25 को नियत है।
02.	15/2024-25	4(1)सा०भू०गृ०एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज सरकार बनाम अतुल मेहरा पुत्र सुखपाल, ग्राम तपोवन, टिहरी गढ़वाल।	पत्रा० वास्ते जिरह पै०सा० दि० 13.08.25 को नियत है।
03	16/22024-25	4(1)सा०भू०गृ०एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम कपिल गुप्ता पुत्र सचिदानन्द, तपोवन, टिहरी गढ़वाल।	पत्रा० वास्ते जिरह पै०सा० दि० 13.08.25 को नियत है।
04.	17/2024-25	4(1)सा०भू०गृ०एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम ललित मिश्रा पुत्र कमल नारायण मिश्रा, निवासी तपोवन, टिहरी गढ़वाल।	पत्रा० वास्ते जिरह पै०सा० दि० 13.08.25 को नियत है।

अतः आख्या तदनुसार सेवा में सादर संप्रेषित।

कृते: उप जिलाधिकारी,  
नरेंद्रनगर।

Number